

कार्यालय
अधिषासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, चन्दौली।

पत्रांक:- 259(W)/न0ख0च0/निष्प्रयोज्य/नीलामी

दिनांक:-18.05.2018

अल्पकालीन नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस खण्ड के अधीनस्थ केन्द्रीय भण्डार आषापुर मवइया वाराणसी में जहाँ है, जैसी स्थिति में है, की स्थिति में निम्नलिखित निष्प्रयोज्य (डब्लू-7) सामग्री की नीलामी दिनांक-24.07.2018 को केन्द्रीय भण्डार में सक्षम अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल वाराणसी द्वारा गठित कमेटी के समक्ष की जायेगी।

सामग्री का विवरण व शर्तें निम्नवत है।

लाट संख्या	क्रम संख्या	सामग्री का नाम	मात्रा	धरोहर धनराषि रूपया
1	2	3	4	5
1	1	जला हुआ पी0वी0सी0कोटेड तॉबे का तार	4.0 मी0टन	1,20,000.00
2	2	स्टील स्कैप	0.570 मी0टन	1,500.00
3	3	सी0आई0 स्कैप	0.760 मी0टन	2,000.00

शर्तें:-1- नीलामी में सम्मिलित होने वाले इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय सहायक अभियन्ता तृतीय वाराणसी मवइया आषापुर वाराणसी से निर्धारित मूल्य रू0 300/-में प्राप्त कर सकते है।

2- उपरोक्त नीलामी में सम्मिलित होने वाले बोली दाता बोली बोलने से पूर्व नीलाम होने वाले सामानों का निरीक्षण मवइया आषापुर वाराणसी स्थित खण्डीय केन्द्रीय भण्डार में करके तथा अपने को संतुष्ट करने के उपरान्त ही बोली में सम्मिलित होंगे, ताकि बाद में किसी भी प्रकार का विवाद न हो।

3-बोली बोलने से पूर्व इच्छुक बोली दाताओं को लाट नम्बर के समक्ष अंकित धनराषि धरोहर /जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक जो कि अधिषासी अभियन्ता नलकूप खण्ड चन्दौली के पक्ष में देय हो अथवा नकद जमा करना होगा जिसे बाद में वापस कर दिया जायेगा।

4-उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को उच्चतम बोली का 25 प्रतिषत धनराषि धरोहर के रूप में, जैसे ही नीलामी समाप्त होती है तुरन्त ही जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराषि जमा न करने पर, जमानत की धनराषि जब्त कर ली जायेगी।

5-नियमानुसार जी0एस0टी0 या अन्य कोई केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कर अतिरिक्त देय होगा।

6-नीलामी स्वीकार की गयी उच्चतम बोली को सक्षम अधिकारी/गठित कमेटी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन के उपरान्त ही बोली को अनुमोदित किया जायेगा।

7-षासनादेश संख्या:-1914/30.04.2002-88/90 दिनांक:-05.08.2002 के अनुसार नीलामी स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को सूचित किया जायेगा और अवषेष धनराषि जमा करने पर सामान उठाने हेतु इस कार्यालय से अधिकार पत्र दिया जायेगा।

- 8—नीलाम किया गया सामान उच्चतम बोली बोलने वाले को तभी हस्तगत कराया जायेगा जब कि उसके द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया हो एवं प्राप्तकर्ता को एक सप्ताह में सामान हटा लेना होगा अन्यथा कुल मूल्य का 1 प्रतिशत भण्डारण अधिभार लगेगा।
- 9—बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी को होगा।
- 10—नीलामी से सम्बन्धित सामानों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने तक उसकी देख-रेख एवं सुरक्षा का दायित्व सामान उठाने तक विभाग का होगा।
- 11—यदि नीलामी के दौरान/बाद में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो सम्पूर्ण लाट का मामला विभागीय सक्षम अधिकारी को सन्दर्भित कर दिया जायेगा तथा उनका निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा।
- 12—बोली दाता द्वारा विभाग को अपना सही पोस्टल पता एवं मोबाइल नम्बर देने की जिम्मेदारी होगी गलत, पते के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 13—यदि कोई अदालती मामला उत्पन्न होता है तो अदालत का क्षेत्र जनपद—वाराणसी ही माना जायेगा।
- 14—किसी अन्य व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार तभी दिया जायेगा जब कि वह बोली बोलने का अधिकारपत्र अपनी फर्म अथवा उस व्यक्ति, जिसके वास्ते बोलेगा प्रस्तुत करेगा।
- 15—बोलीदाता का ध्यान भा0द0वि0की धारा—185 की ओर आकृष्ट किया जाता है कि वह किसी अवांछनीय तत्व को नीलामी स्थल पर लाकर नीलामी में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने की चेष्टा न करें अन्यथा की स्थिति में उसके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करके उसे गिरफ्तार कराने की कार्यवाही की जायेगी। कोई भी बोली दाता अस्त्र—षस्त्र के साथ नीलामी परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

अधिषासी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, चन्दौली।

